10/02

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

₹ 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

आजमगढ़ 12 OCT 2020

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

1560

Attested
25.1.2021

बाबू के0पी0 सिंह महाविद्यालय

यह न्यास विलेख आज दिनांक 25-1-021 को आजमगढ़ में श्री अवधेश सिंह पुत्र श्री स्व0 केशव प्रसाद सिंह, सुभाष नगर, हाइडिल कालोनी, सिधारी आजमगढ़ उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया। जिन्हे आगे न्यासकर्ता/संस्थापक कहा जाएगा, क्योंकि न्यासकर्ता/संस्थापक के पास रुपया 10,000.00 (दस हजार रुपया मात्र) की धनराषि है। जिसे कि वह पुरुषार्थ एवं सामाजिक कार्यो हेतु दान देने की इच्छा करते हैं। न्यासकर्ता/संस्थापक उक्त राशि का अप्रति संहरणीय न्यास बनाने हेतु इच्छुक है, जो कि समाज, सामाजिक उत्थान एवं विशेष रुप से शिक्षा के रुप में कार्य करेगा। यह ट्रस्ट "बाबू के0 पी0 सिंह महाविद्यालय" के नाम से जाना जायेगा एवं कार्य करेगा, जिसे कि आगे संक्षिप्त में ट्रस्ट भी कहा जायेगा।

क्योंकि ट्रस्ट का न्यासकर्ता मैनेंजिंग ट्रस्टी होगा जिसे कि ट्रस्ट का अध्यक्ष भी कहा जा सकेगा। न्यासकर्ता/संस्थापक की यह भी इच्छा है कि वह विभिन्न स्त्रोतों से दान, उपहार, ऋण आदि भी सम्मिलित है, के द्वारा ट्रस्ट के कोष सम्पदा

अवधेश सिंह

क्र० 54
रु० 100/-

अवधेश सिंह S/o श्री कौशल प्रसाद नि० हाजित ...
सुभान नगर मिलकी

बसाम अहमद
15/01/02

बसाम अहमद लाइ नं०-65
... आज़मगढ़

भारतीय गैर न्यायिक

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

12 OCT 2020

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FR [illegible]

एवं साधनों को बढ़ाए ताकि ट्रस्ट अपने उद्देश्यों में प्रभावी रुप से सफल हो सके और न्यासकर्ता/संस्थापक ने अपनी इच्छा के अनुकूल 10,000.00 (दस हजार रुपये मात्र) की नगद राशि ट्रस्ट को प्रदान की है, और ट्रस्ट की कुल पूंजी मात्र 10,000.00 रुपये है। वर्तमान में इस ट्रस्ट का पंजीकृत एवं प्रशासनिक कार्यालय सुभाष नगर, हाइडिल कालोनी, सिधारी, आजमगढ़ रहेगा एवं अधिक सुविधाजनक स्थान मिलने व मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की सहमति से इस कार्यालय को समयानुसार स्थानांतरित किया जा सकेगा।

क्योंकि न्यासकर्ता/मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नियमावली निम्न प्रकार धाराबद्ध घोषित किया जाता है।

25.1.2021

साक्षीगण

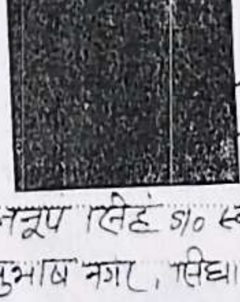

25.1.2021

नाम धनन्जय सिंह पु० श्रीरामभुवन सिंह
पता ग्राम - मडुवाँ पो० मडुवा मुरारपुर
जिला - आजमगढ़

नाम अनूप सिंह S/o स्व० केशवप्रसाद सिंह
पता मो० सुभाष नगर, सिधारी, आजमगढ़

अवधेश सिंह

रु 45
Rs.1001-

उपरोक्त पद्दि ३/० श्री कैलाश प्रसाद २/० शविलाल
सुदर्शन नगर शिवाजी

15/01/02

वसाफ अहमद लि० नं०-७७
कलक्टर आजमगढ़

भारतीय गैर न्यायिक

सौ रुपये

रु. 100

HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

कार्यालय ... आजमगढ़ 12 OCT 2020

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

न्यास विलेख (Instrument of Trust)

उद्देश्य एवं नियमावली :-

(1) ट्रस्ट का उद्देश्य :- ट्रस्ट निम्न उद्देशों की पूर्ति के लिए कार्य करेगा।

1. ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य भिन्न-भिन्न स्थानों पर सबके लिए प्राथमिक पाठशाला, जूनियर हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट कालेज, यू०पी० बार्ड सी०बी०एस०ई, आई०सी०,एस०सी, आई०एस०सी०, महाविद्यालय व अन्य इन्स्टीट्यूट ऑफ एजूकेशन, पब्लिकेशन आदि का संचालन करना, वाचनालयों, प्रयोगशाला, चिकित्सालयों, वृध्दाश्रमों, अनुसंधान केन्द्रों, छात्रावासों, कम्प्यूटर केन्द्रों, निराश्रित केन्द्रों, सामुदायिक केन्द्रों, अनाथालयों सर्वेक्षण केन्द्रों, पर्यावरण, एड्स उत्थान केन्द्रों, विभिन्न दिव्यांग उत्थान केन्द्रों तथा ऐसे अन्य केन्द्र जो जनहित में हो स्थापित, नामकरण, विकास सम्बद्ध आबद्ध, प्रबन्धन संचालन आदि कर सकता है। आवश्यक होने पर विभिन्न परिषदों, विभागो, प्रतिष्ठानों, संस्थानों शासन आदि से उन्हे मान्य, सम्बद्ध, आबद्ध, पंजीकृत, अनुमोदित, स्वीकृत कराया जा सके।
2. ग्राम विकास अभिकरण की गतिविधियों का संचालन करना।
3. खादी ग्रामोंद्योग बोर्ड की योजनाओं का संचालन करना।
4. कृषि कार्य हेतु बंजर भूमि का सुधार एवं वृक्षों का कटान रोककर जल संरक्षण करना।

अवधेश सिंह

कृपया आवेदक हेतु डा० श्री नैयर प्रसाद का शादि [illegible]
[illegible] — सुभाष नगर निवासी

[illegible signature]
15/01/02
इमाम अहमद लो० न०-05
कलक्टरेट आजमगढ़

भारतीय ... एक सौ रुपये 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

12 OCT 2020 आजमगढ़

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

5. उद्यानीकरण, केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाओ के अनुरुप वृक्षारोपण, सूक्ष्म लघु उद्योग, ईट भट्ठा, कांस्ट्रक्शन, कान्ट्रैक्टर आदि कार्य के साथ शेयर एवं आर्थिक उद्योगों को सम्पादित करना एवं प्रोत्साहित करना।
6. महिला, बाल विकास एवं स्वास्थ्य सहयोग हेतु विविध कार्यक्रम एवं योजनाओं को संचालित करना।
7. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु संस्थानों की स्थापना करना।
8. कृषि, संगीत सम्बन्धित आदि विषयों की शिक्षा एवं उसके विकास हेतु संस्थानों की स्थापना करना।
9. केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के सभी विभागों शिक्षा मंत्रालय, मानव संसाधन, समाज कल्याण, नाबार्ड, कपार्ट, सामाजिक, न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, कल्याण सलाहकार बार्ड, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, नेहरु युवा केन्द्र, खेलकूद युवा कल्याण, ग्राम विकास मंत्रालय, कौशल विकास मंत्रालय, नीति आयोग आदि सभी विभागों के कार्यो एवं योजनाओं का संचालन करना।
10. आई0 टी0 आई0, फार्मेसी, नर्स ट्रेनिंग, आपरेशन टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, फिजियोथिरैपी, पैरामेडिकल्स इन्स्टीट्यूट, आयुर्वेदिक एवं यूनानी कालेज, मेडिकल कालेज एवं इन्जीनियरिंग कालेज, होम्यापैथिक कालेज, स्टेट मेडिकल फैकल्टी, फार्मेसी काउंसिल आफ इण्डिया, नर्सिंग काउंसिल आफ इण्डिया, आल इण्डिया काउंसिल फार टेक्नीकल एजुकेशन (ए0आई0सी0टी0ई0) द्वारा संचालित सभी पाठ्क्रम डीफार्मा, बीफार्मा, ए0एन0एम0, जी0ए0एन0एम0, बी0एस0सी0, नर्सिंग की मान्यता हेतु आवेदन

अवधेश सिंह

242

15.1.07

वजनबीता निद्दि प्रजाति मिशन प्रसाद २०० आदि
सुभाष नगर तिवारी

[signature]
15/01/07
वसीम अहमद सी०न०-69
कलक्ट्रेट आजमगढ़

भारतीय गैर न्यायिक

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

12 OCT 2020

आजमगढ़

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

करना, होम्योपैथिक दवाखाना, एलोपैथिक, होम्योपैथिक दवा निर्माण इकाईयाँ व अन्य सेवी संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन करना जो जनहित में हो।

11. समाज के लोगों के लिए चिकित्सालय, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केन्द्रों, मेडिकल स्टोरों, कम्पनी, फर्म आदि की व्यवस्था करना।
12. पुस्तकालय, वाचनालय, पत्र-पत्रिकाओं, समाचार-पत्रों, आदि का प्रकाशन मुद्रण बिक्री एवं मूल्य का निर्धारण, वितरण करवाना।
13. दिव्यागों व असहाय लोंगो के शिक्षा, चिकित्सा, आवास, भोजन आदि की व्यवस्था करना।
14. प्रायोगिक, कला, संगीत, वाणिज्य, वैज्ञानिक, क्रिडा, मार्शल आर्ट आदि विभिन्न प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों एवं विषयों की शिक्षा प्रदान करने का प्रबन्ध करना।
15. विभिन्न परिक्षाओं, प्रतियोगिताओ एवं प्रतिस्पर्धाओं के माध्यम से छात्र-छात्राओं को सफल एवं स्वावलम्बी बनाने हेतु उनके अध्ययन, अध्यापन, आवास आदि सुविधाओं की व्यवस्था करना।
16. केन्द्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की वित्तपोषित / स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत प्रशिक्षण, कार्यशालाओं का आयोजन करना।
17. सांस्कृतिक कार्यक्रम, एड्स नियत्रण कार्यक्रम, अधिवेशन, सम्मेलन, प्रतियोगिताओं, विशेष कक्षाए, सत्र, प्रोत्साहन कार्यक्रम आदि का आयोजन करना।
18. महिलाओ व किशोरियों के उत्थान हेतु सिलाई, कढाई, बुनाई, स्क्रीन प्रिंटिंग आदि की शिक्षा एवं व्यवस्था करना।

अवधेश सिंह

[illegible] - [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] -

सुनाकर [illegible]

[illegible]
15/01/07

तमाम अहमद ला० नं०-69
[illegible] आजमगढ़

भारतीय ... एक सौ रुपये

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

12 OCT 2020

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

19. व्यक्ति विशेष , अन्य सोसायटी ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयो, महाविद्यालयों, मेडिकल कालेजों, इन्जीनियरिंग कालेजों को उक्त, ट्रस्ट द्वारा संचालित करना एवं उनको इस ट्रस्ट मे समायोजित करना।
20. कोई समिति स्वयं या अपने द्वारा संचालित किसी भी तरह के संस्थान का न्यास में समाहित करने का इच्छुक हो तो उस समिति द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत होने पर, न्यास मण्डल/बोर्ड के अध्यक्ष की अनुमति से ही संस्था/समिति को न्यास में समाहित किया जा सकेगा और वह समिति/संस्था न्यास की संस्था (सम्पत्ति) मानी जायेगी।
21. ट्रस्ट के उद्देश्यो की पूर्ति हेतु विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संगठनो, संस्थानो, ट्रस्टो, फर्मो, व्यक्तियों से सहयोग, दान, अनुदान, चन्दा, शुल्क या धन प्राप्त करना तथा यथा विधि रसीद प्राप्त कराना।
22. विधि संगत उपयोगी जानकारी का प्रचार–प्रसार करना।
23. आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन करना एव प्रचार–प्रसार करना।
24. पर्यावरण सुरक्षा एवं बचाव हेतु प्रयास करना व जागरुकता कार्यक्रमो, सेमिनारों का आयोजन करना।
25. कृषि उपयोगी कार्य करना व उसका प्रचार प्रसार करना।
26. संचारी रोगो, महामारी की रोकथाम एवं बचाव, उपाय हेतु जनजागरण, प्रचार प्रसार करना, औषधि वितरण व टीकाकरण कराना।
27. दैवीय आपदा से बचाव का प्रचार प्रसार करना व राहत बचाव के कार्यो का क्रियान्वयन करना।
28. ट्रस्ट द्वारा दी जा रही सेवाओं वस्तुओं के लिए मूल्यों का निर्धारण करना

क्र०49 अवधेश सिंह S/o श्री केशव प्रसाद मकान नं० ... सुखदेव नगर सिधारी
25/1001-

15/01/07

वसीम अहमद ली० नं०-69
स्टाम्प वेण्डर आज़मगढ़

भारतीय गैर न्यायिक

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

12 OCT 2020

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

29. विभिन्न माध्यमो से अध्यापन, अध्ययन को प्रोत्साहित कर तत्सम्बन्धित आवश्यक व्यवस्थाए करना।
30. उपभोक्ता अधिकार, ऊसर सुधार जैसे सामाजिक दायित्वो के विषयो पर जन चेतना जागृत करना।
31. धार्मिक स्थलो का निर्माण व जीर्णोद्धार करना।
32. जन कल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमो का आयोजन व क्रियान्वयन करना।
33. विभिन्न आयोजनो के माध्यम से छात्रवृत्ति पुरस्कार सहायता एवं वित्तीय सहायता, स्मृति चिन्ह आदि प्रदान करना।
34. विभिन्न संस्थाओं/ विद्यालयों/ महाविद्यालयो/ विधि महाविद्यालयो/ मेडिकल कालेजों/ इंजीनियरिंग कालेजों/प्रतिष्ठानों के विशेषाधिकार (Franchise) प्राप्त करना तथा अपने विशेषाधिकार (Franchise) अन्य को प्रदान करना।
35. ट्रस्ट के कोष एवं सम्पदा मे वृध्दि करना विनियोजन करना तथा उसका ट्रस्ट के उद्देश्यों में प्रयोग करना।
36. ट्रस्ट जनसामान्य के लिए अद्वितीय कार्य करेगा। ट्रस्ट यथा सम्भव अपनी सेवाएं एवं वस्तुएं लागत मूल्य पर ही देने का प्रयास करेगा।
37. ट्रस्ट केवल वित्तीय लाभ के लिए कार्य नही करेगा बल्कि जनकल्याण की भावना एवं ट्रस्ट के उद्देश्यो की पूर्ति के लिए कार्य करेगा।
38. ट्रस्ट अपने समस्त आय एव लाभ कालान्तर मे ट्रस्ट के उद्देश्यो की पूर्ति करने हेतु व्यय करेगा।
39. कृषको के उत्थान एवं विकास पॉलीक्लीनिको का निर्माण, मेला एवं कार्यशाला का आयोजन करेगा।

अवधेश सिंह

[illegible]

राजेन्द्र सिंह S/o श्री केशव प्रसाद [illegible]

मुबारकपुर निवासी [illegible]

[illegible]

15/01/07

इमाम अहमद ला० नं० 69

स्टाम्प आजमगढ़

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

12 OCT 2020

आजमगढ़

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

40. कृषकों के उत्थान एवं विकास हेतु नवीन बीजो, रासायनिक दवा, जैविक उर्वरकों की जानकारी देना, फल एवं औषधीय खेती के विषय मे जानकारी देना एवं उत्पादन किए गए माल का आयात एव निर्यात करना।
41. उपरोक्त सभी कार्यो क्रियान्वयन करने हेतु देशी-विदेशी दान दाता संस्थाओ से दान लेकर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के सहयोग से सारे कार्यो का सम्पादन करना तथा दान, अनुदान अथवा ऋण ग्रहण करना तथा आवश्यकता अनुसार बैंको से ऋण प्राप्त करना संस्था का मुख्य कार्य होगा।
42. ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं को आगे बढ़ाने के लिए 12ए, 80जी, 10/23 व 35 एक्ट के अन्तर्गत मिलने वाली सुविधाओ को प्राप्त करना।
43. हिन्दी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी तथा अन्य प्राच्य भाषाओं से प्राइमरी, जूनियर हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट, महाविद्यालय एवं प्राविधिक कालेज की स्थापना करना व संचालन करना।

(2) प्रारम्भिक उपबन्ध :-

1. वर्तमान मे ट्रस्ट डीड के पंजीकृत दिनांक से श्री अवधेश सिंह पुत्र स्व0 श्री केशव प्रसाद सिंह जो कि न्यासकर्ता एव न्यास विलेख के रचयिता (Auther of Deed) भी हैं को इस ट्रस्ट का मैनेजिग ट्रस्टी/अध्यक्ष, श्री अरुण कुमार सिंह पुत्र स्व0 श्री केशव प्रसाद सिंह निवासी, सुभाष नगर, हाइडिल कालोनी, सिधारी आजमगढ़, को सचिव एवं श्री अनूप कुमार सिंह पुत्र श्री स्व0 केशव प्रसाद सिंह निवासी, सिधारी जनपद-आजमगढ़ को सदस्य सुनिश्चित किया जाता है।

अवधेश सिंह

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]

[signature]

15/01/21

शमीम अहमद [illegible] 40-69
कलेक्टेट आजमगढ़

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

2. यदि कोई अन्य व्यवस्था मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष श्री अवधेश सिंह पुत्र स्व0 श्री केशव प्रसाद सिंह द्वारा रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर्ड कर सुनिश्चित न कर दी जाए तो मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की मृत्यु के पश्चात् इनके विधिक वारिस ही मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष होंगें। यह क्रम वंशागत (पीढ़ी दर पीढ़ी) चलता रहेगा।
3. वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष अपने जीवन काल मे ही जब चाहे सचिव की सहमति से अपना उत्तरदायित्व अपने उत्तराधिकारियो को स्थानान्तरित कर सकते हैं।

(3) मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष पद का उत्तराधिकारी /हस्तानांतरण:-

1. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन काल मे अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष की व्यवस्था कर दे।
2. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवन काल मे ही सचिव की सहमति से मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का पद किसी को प्रदान कर सकता है।
3. किसी भी व्यक्ति के मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष बनते ही उसे वह सभी अधिकार प्राप्त हो जायेगें जो कि ट्रस्ट डीड मे मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को दिए गए हैं।
4. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने उत्तराधिकारी की घोषणा न कर पाने एवं व्यवस्था करने से पूर्व मृत्यु हो जाने की अवस्था मे मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष पद पर आसीन व्यक्ति का व्यक्तिगत उत्तराधिकारी ही ट्रस्ट

अवधेश सिंह

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
निवासी [illegible]

[illegible signature]
15/01/[illegible]

वसीम अहमद ली० न०-69
कलेक्ट्रेट आजमगढ़

भारतीय गैर न्यायिक

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

का भी मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष बनेगा। कोई असुविधा होने पर उत्तराधिकार अधिनियम की व्यवस्थाओं से मार्ग दर्शन प्राप्त किया जा सकता है.।

5. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को चाहिए कि वह अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष यह व्यवस्था रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर्ड करा ले अथवा अपनी वसीयत द्वारा भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि इस सन्दर्भ मे स्पष्ट करना है कि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने जीवन काल के उत्तरार्द्ध में की गयी वसीयत/इच्छा/व्यवस्था ही अन्तिम रुप से मान्य होगी।
6. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि कार्यरत मैनेजिग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवन काल में अपना कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को वास्तविक रुप मे हस्तान्तरित कर देता है, तो वह अपने निर्णय पर पुनः विचार भी कर सकेगा।
7. कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष तभी अपने उत्तराधिकारी हस्तानान्तरण विषय पर विचार एवं पुनःविचार हेतु स्वतन्त्र है जब तक कि वास्तविक रुप में कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को न प्रदान कर दे।
8. कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने उत्तराधिकारी को दिया गया कार्यभार हस्तानान्तरण समस्त अधिकार सहित पूर्ण माना जायेगा।

(4) बोर्ड आफ ट्रस्टीज :–

अवधेश सिंह

15/01

आजमगढ़

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

1. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष यदि उचित समझे विषयों पर विचार विमर्श करने एव सलाह प्राप्त करने हेतु बोर्ड आफ ट्रस्टीज का गठन कर सकता है जिसमे की अधिकतम 7(सात) सदस्य होंगे।
2. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी व्यक्ति को ट्रस्टी मनोनीत करते समय उसका कार्यकाल स्पष्ट करेगा। ट्रस्टी की कार्य अवधि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की इच्छा पर निर्भर करती है तथा मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ही बिना किसी कारण बताए ट्रस्टी के पद से हटा सकता है।
3. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष जब भी उचित समझे बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक आयोजित कर सकता है जिसकी अध्यक्षता मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं करेगा।
4. यह कि बोर्ड आफ ट्रस्टीज उन्ही विषयों पर विचार करेगा तथा सुझाव देगा जिनको मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा किसी भी सुझाव का मानना स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की इच्छा एव विवेक पर निर्भर करता है। इस सन्दर्भ मे मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के द्वारा लिया गया निर्णय ही सर्वमान्य एव अन्तिम होगा।

(5) मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का कार्यकाल एवं सुविधाएं :-

अवधेश सिंह

क्र० 54 / 25/08

आवश्यक कार्यवाही हेतु श्री केशव प्रसाद द्वारा [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible]

15/01/16

वसीम अहमद लि० न०-69
कलेक्ट्रेट आजमगढ़

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को ट्रस्ट विभिन्न सुविधाओं से युक्त कार्यालय एवं वाहन की सुविधा के स्तर को सुनिश्चित करने में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का निर्णय ही अन्तिम रुप से मान्य होगा।
2. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का उत्तरदायित्व वहन करने हेतु ट्रस्ट से मासिक/भत्ते आदि पर कोई आयकर लगता है तो ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं की आय से आयकर का भुगतान करेगा ट्रस्ट इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

(6) मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का विशेषाधिकार :-

मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को विशेष अधिकार प्राप्त होगा कि सचिव की सहमति से ट्रस्ट के अन्तर्गत कार्यरत किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा लिए गए निर्णय में हस्तक्षेप कर निरस्त/स्वीकृत/अस्वीकृत कर दे या संशोधित कर दे। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्ट कार्यकलापों में किसी भी स्तर पर कोई दिशा निर्देश दे सकता है, जो सभी सम्बन्धित पक्षों को अन्तिम रुप से मान्य एवं स्वीकार होगा।

(7) सचिव/उपसचिव की नियुक्ति :-

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्यो को करने एवं देखभाल करने के लिए एक सचिव एवं आवश्यकता पड़ने पर एक या दो उपसचिवों की नियुक्ति कर सकेगा।
2. यह कि सचिव/उपसचिवों के वेतन भत्तो, सुविधाएं कार्य नियम, मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा निश्चित किए जाऐगे।

अवधेश सिंह

[illegible]

दाखिला [illegible] हेतु S/o श्री [illegible] दाखिल [illegible]

[illegible] [illegible]

[signature]

15/9/07

वसीम अहमद लि० नं०-65

कलेक्ट्रेट आजमगढ़

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

3. यह कि उक्त मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी समय बिना कोई कारण बताये उक्त पदो पर कार्यरत व्यक्तियों के विरुध्द प्रशासनिक/विधिक/अनुशासनात्मक/प्रशंसनात्मक कार्यवाही कर सकता है अथवा उक्त पदों के अधिकार एवं कर्तव्य किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित/प्रदान कर सकता है।

(8) <u>मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य</u> :-

यह कि ट्रस्ट डीड के अन्तर्गत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को प्राप्त विभिन्न अधिकार एवं कर्तव्यों के अतिरिक्त अध्यक्ष/ट्रस्टी के निम्न अधिकार एव कर्तव्य भी होंगे-

1. बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं उसकी अध्यक्षता करना।
2. ट्रस्ट के समस्त कार्यो का उत्तरदायी ढंग से देखरेख करने के लिए सचिव उपसचिवो की नियुक्ति करना।
3. इस ट्रस्ट डीड मे उल्लेखित ट्रस्ट के उददेश्य एव नियमावली में संशोधन/परिवर्तन करना जो कि रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्रीकृत होने के दिनांक से मान्य होगा।

(9) <u>सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य</u> :-

ट्रस्ट के समस्त कार्यो के लिए ट्रस्ट का सचिव अन्तिम रुप से कार्यरत एवं उत्तरदायी है। ट्रस्ट के सचिव के निम्न कर्तव्य व अधिकार है -

1. ट्रस्ट के उददेश्यो की पूर्ति करने हेतु सभी उपाय एवं कार्यवाही करना।

मनोज सिंह

[illegible]

[illegible]

[illegible]

15/01/07

वसीम अहमद [illegible]

कलेक्टर आजमगढ़

भारतीय गैर न्यायिक

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

2. ट्रस्ट के अर्न्तगत होने वाले सभी कार्यकलापों एवं दिन प्रतिदिन गतिविधियो पर नियन्त्रण रखना।
3. ट्रस्ट के अर्न्तगत संचालित कार्यो हेतु पदाधिकारियो की नियुक्ति पदमुक्त तथा उनके विरुध्द अनुषासनात्मक प्रशासनिक कार्यवाही करना।
4. विभिन्न कार्यकलापों उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु प्रकोष्ठो / विभागों / केन्द्रों / संस्थाओं का गठन मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष के अनुमति से कर सकना तथा उनके संयाजको / निदेशकों पदाधिकारियों आदि की संचालन हेतु आवश्यकतानुसार नियम / उपनियम बनाना।
5. एक से अधिक विशेष कार्याधिकारी नियुक्त होने की स्थिति मे उनका कार्य विभाजन करना।
6. प्रचार / प्रसार / मुद्रण / प्रकाशन / वितरण / विक्रय की सर्वोत्तम व्यवस्था करना।
7. जन सामान्य के कल्याणार्थ आयोजन करना।

(10) उपसचिव के अधिकार एवं कर्तव्य :–

1. सचिव की अनुपस्थिति में उनके पद के अधिकार एवं कर्तव्यों का पालन करना।
2. सचिव द्वारा लिखित रुप से प्राधिकृत करने पर उन अधिकारो / कर्तव्यो का पालन करना जो उसे लिखित रुप से प्राप्त है।

(11) कार्यक्षेत्र :–

ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण विश्व होगा, वह सामाजिक उत्थान ...

भागेश्वर सिंह

[illegible] सिंह पुत्र श्री [illegible] प्रसाद [illegible] निवासी [illegible]

[illegible]

15/01/07

वसीम अहमद लॉ० नं०-65
[illegible] आजमगढ़

भारतीय गैर न्यायिक
एक सौ रुपये
सत्यमेव जयते
भारत INDIA
12 OCT 2020
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

विश्व के किसी राष्ट्र व व्यक्ति विशेष से सहायता व राय प्राप्त कर सकता है अथवा सहायता व राय दे सकता है।

(12) ट्रस्ट का कोष :–

1. ट्रस्ट का खाता किसी राष्ट्रीकृत बैंक मे खोला जायेगा, जो मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से संचालित होगा।
2. ट्रस्ट के कोष में दान के द्वारा धन देश व विदेश से लिया जा सकेगा।
3. ट्रस्ट का कोष केवल ट्रस्ट के हित में ही खर्च किया जा सकेगा।
4. ट्रस्ट के अर्न्तगत संचालित इकाई, कार्यरत किसी पाठशाला/विद्यालय/कालेज/महाविद्यालय/संस्थान/अन्य संस्था/केन्द्र /कार्यक्रम इकाई कार्यालय का पृथक नाम से बैंक खाता खोला एवं संचालित किया जा सकता है। इस स्थिति मे स्वयं मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत बैंक खाता खोला जा सकता है और आय-व्यय का लेखा परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा कराया जाएगा।

(13) विधिक कार्यवाही :–

यदि संस्थान/ट्रस्ट की तरफ से कोई विधिक कार्यवाही की जाती है या उसके विरुद्ध कोई विधिक कार्यवाही होती है तो मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अनुमति से अधिवक्ता

अवधेश सिंह

[illegible] प्रपत्र [illegible]

लिखी [illegible]

[illegible]

15/01/07

वसीम अहमद ला० नं०-08
[illegible] आजमगढ़

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

भारत

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 10AA 46

7. चल/अचल सम्पत्ति को प्रत्याभूति, भाड़ा, क्रय, अनुज्ञपि, बन्धक, गिरवी, विभाजित आदि कर सकता है/ले सकता/दे सकता है। यह सभी कार्य ट्रस्ट आर्थिक व सामाजिक आदि उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किए जाऐगें।

(15) विशेष :—

1. यह ट्रस्ट पंजीकृत अधिनियम 21, 1960 अन्तर्गत भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के अर्न्तगत निष्पादित किया जा रहा है। इस न्यास पर भारतीय न्यास अधिनियम 1882 की धाराएँ/नियम/उपनियम लागू होंगे।

2. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष यदि उचित समझे तो किसी/किन्हीं परिस्थितियों मे इस ट्रस्ट डीड के किसी/किन्हीं प्राविधानो को शिथिल कर सकते है तथा प्राविधान/प्राविधानों के होते हुए अन्यथा निर्णय ले सकते है। इस सम्बन्ध मे अध्यक्ष का विवेक व्यवस्था ही अन्तिम होगी। इस धारा के अर्न्तगत अध्यक्ष द्वारा की गयी कार्यवाही को कहीं भी किसी न्यायालय मे चुनौती नही दी जा सकती है। बाबू के०पी० सिंह महाविद्यालय के उद्देश्य एवं नियमावली एतद्द्वारा अधिनियमित, अनुमोदित, घोषित, स्वीकृत, आत्मार्पित एवं तत्काल कार्यान्वित की

भगवान सिंह

आवेदन सं०: 202100966000879

बही सं०: 4 रजिस्ट्रेशन सं०: 10 वर्ष: 2021

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री अवधेश सिंह, पुत्र श्री स्व० केशव प्रसाद सिंह

निवासी: सुभाषनगर हाइडिल कालोनी, सिधारी उ०प्र०

व्यवसाय: अन्य

अवधेश सिंह

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री धनंजय सिंह , पुत्र श्री राममूरत सिंह

निवासी: सा० व पो० महुवामुरारपुर तह० सदर जिला आजमगढ़।

व्यवसाय: अन्य

धनन्जय सिंह

पहचानकर्ता : 2

श्री अनूप कुमार सिंह , पुत्र श्री स्व० केशव प्रसाद सिंह

निवासी: सा० सिधारी हाईडिल कालोनी तह० सदर जिला आजमगढ़।

व्यवसाय: कृषि

अनूप सिंह

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :

सौरभ चन्द्र राय
उप निबंधक : सदर
आजमगढ़

श्रीमती नीतू यादव
निबंधक लिपिक

प्रिंट करें

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

नियुक्त एवं विभिन्न न्यायालयों मे पैरवी या स्वयं अन्य को अधिकृत कर सकता है। ट्रस्ट (न्यास) के विघटन एवं विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत की जाएगी।

(14) <u>सम्पत्ति</u> :–

1. ट्रस्ट चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में वह सभी अधिकार रखता है जो कि एक नागरिक/व्यक्ति को प्राप्त होते है।
2. ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में ट्रस्ट की ओर से कोई निर्णय लेने लेख/विलेख बनाने हेतु मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं या किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है।
3. ट्रस्ट मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध मे कोई लेख/विलेख बनाने एवं निर्णय करने हेतु पूर्णतया समर्थ एवं अधिकृत है।
4. ट्रस्ट चल/अचल सम्पत्ति क्रय विक्रय कर सकता है, रेहन रख सकता है, किराये पर दे सकता है ले सकता है।
5. ट्रस्ट किसी से ऋण, दान, उपहार, भेंट, सम्मान, पुरस्कार, स्मृति चिन्ह मानदेय आदि प्राप्त कर सकता है।
6. ट्रस्ट धन को कहीं भी विनियोजन कर सकता है, सुरक्षित कर सकता है, किसी बैंक, संस्था कम्पनी आदि की किसी योजना में धन/सम्पत्ति का विनियोजन कर सकता है।

अवधेश सिंह

आवेदन सं०: 202100966000879

न्यासपत्र

वही सं०: 4 रजिस्ट्रेशन सं०: 10 वर्ष: 2021

प्रतिफल- 10000 स्टाम्प शुल्क- 1560 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - [illegible] प्रतिलिपिकरण शुल्क - 100 योग : 600

श्री अवधेश सिंह ,
पुत्र श्री स्व० केशव प्रसाद सिंह
व्यवसाय : अन्य
निवासी सुभाषनगर हाइडिल कालोनी, सिधारी उ०प्र०

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 25/01/2021 एवं 02:20:29 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सौरभ चन्द्र राय
उप निबंधक :सदर
आजमगढ़
25/01/2021

श्रीमती नीतू यादव
निबंधक लिपिक

प्रिंट करें